कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसरों
एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों का
छात्रसंघ संविधान

सत्र 2009–10 से प्रभावी

अनुक्रमणिका

अनुच्छेद

		पृ० सं०
	प्रस्तावना	
1—	संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ	3
2—	संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का भावार्थ	3
3—	छात्रसंघ से सम्बन्धित सामान्य जानकारियां	6
4—	छात्रसंघ का स्वरूप	8
5—	कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की पात्रता/अर्हता	9
6—	सम्बद्ध महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय परिसर में अशान्त वातावरण में निर्वाचन पद्धति	17
7—	सामान्य परिस्थितियों में निर्वाचन पद्धति	20
8—	निर्वाचन प्रक्रिया की आवृत्ति और अवधि	21
9—	निर्वाचन प्रक्रिया	21
10—	नामांकन दाखिल करना एवं नामांकन वापसी	23
11—	मतदान प्रक्रिया	26
12—	मतगणना प्रक्रिया	28
13—	पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य	31
14—	बैठकें तथा कार्य विधि	33
15—	छात्रसंघ कोष तथा उसका उपयोग	34
16—	छात्रसंघ पदाधिकारियों, सदस्यों और निर्वाचन प्रशासन के लिए आचार संहिता	35
17—	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	38
18—	निर्वाचन प्रक्रिया के समय परिसर में विधि और व्यवस्था बनाये रखना	44
19—	विविधि (अविश्वास प्रस्ताव, निलम्बन/पदच्युत, छात्रसंघ को भंग करना, व्यावसायिक संगठनों की सहायता से नेतृत्व प्रशिक्षण, बड़े पदाधिकारियों के पद रिक्त होने पर व्यवस्था और छात्र प्रतिनिधि का सर्वांगीण विकास के लिए संविधि में छात्रसंघ प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना।	44
20—	सुरक्षा व्यवस्था	46
	परिशिष्ट	47

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1—इसका नाम कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय छात्रसंघ संविधान है।

2—इसका विस्तार कुमाऊँ विश्वविद्यालय, के समस्त परिसरों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों पर है।

3—यह संविधान विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्/शासन के द्वारा पारित तथा प्रवर्तन की घोषणा की तिथि से लागू होगा।

2. संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का भावार्थ

(क) आयु में समुचित छूट	व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि की तद्नुरूप छूट, लेकिन सम्बन्धित पाठ्यक्रम 4—5 वर्ष की अवधि का होना अनिवार्य होगा।
(ख) कार्यकारिणी	निर्वाचित पदाधिकारियों और/अथवा नामित सदस्यों की सभा।

(ग) कोई भी छात्र	मत देने के लिए अधिकृत, विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय का नियमित और अर्ह छात्र।
(घ) गत वर्ष	वर्तमान शिक्षा सत्र से ठीक पिछला सत्र।
(ङ) छात्रसंघ प्रभारी	शिक्षा सत्र के दौरान छात्रसंघ के कार्य और क्रियाकलापों के संचालन तथा देखरेख हेतु संस्थाध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्राध्यापक।
(च) निर्वाचन समिति	छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने वाली संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित समिति।
(छ) प्रॉविजनल प्रवेश	सशर्त (कन्डीशनल) प्रवेश अथवा अनन्तिम प्रवेश जो अस्थाई प्रवेश नहीं है।
(ज) प्रशासन	विश्वविद्यालय/परिसर तथा महाविद्यालय का प्रशासन।
(झ) बड़े पदों का रिक्त होना	अध्यक्ष अथवा सचिव के पद का रिक्त होना से है।
(ञ) मतदाता सूची	सम्बन्धित संस्था में वर्तमान भौक्षणिक सत्र में प्रवेश प्राप्त समस्त संस्थागत छात्र/छात्राओं की कक्षावार सूची (शोध छात्र/छात्राओं को छोड़कर)।
(ट) विहित व्यय	छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशी द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय रूपये 5,000.00 (पाँच हजार) से अधिक नहीं।
(ठ) विश्वविद्यालय	कुमाऊँ विश्वविद्यालय
(ड) शासन	उत्तराखण्ड सरकार/शासन
(ढ) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	नियमावली के अनुरूप विधिक रूप से गठित छात्रसंगठन के निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतों पर विनिश्चय, आदेश अथवा व्यवस्था देने की शक्ति प्राप्त प्रकोष्ठ।
(ण) शैक्षणिक अवशेष	किसी भी शैक्षणिक सत्र अथवा समेस्टर में बैक पेपर नहीं होना।
(त) शैक्षिक सत्र/शिक्षासत्र	सामान्यतः 01 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक की अवधि।
(थ) संविधान	छात्रसंघों की निर्वाचन प्रक्रिया तथा उनके कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का संकलन।
(द) संस्था/शिक्षण संस्था	कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसर एवम् सम्बद्ध महाविद्यालय।
(ध) अपीलीय क्षेत्राधिकार	संकाय प्रतिनिधि तथा छात्रसंघ पदाधिकारियों के निर्वाचन संबंधी विवादोंके विषय में अपीलीय क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय परिसर में संस्थाध्यक्ष/निदेशक तथा महाविद्यालय में प्राचार्य के पास होगा।

3. छात्रसंघ से सम्बन्धित सामान्य जानकारियाँ

नाम	छात्रसंघ का नाम परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय छात्रसंघ'' होगा।
सदस्यता	संस्था का प्रत्येक संस्थागत नियमित छात्र/छात्रा (शोध छात्र/छात्रा को छोड़कर) सम्बन्धित संस्था के छात्रसंघ का सामान्य सदस्य होगा/होगी।
सदस्यता शुल्क	सम्बन्धित संस्था के प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रवेश लेते समय छात्रसंघ सदस्यता शुल्क लिया जायेगा। शुल्क की राशि संस्था की आवश्यकतानुसार संस्थाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेगी।
कार्यकाल	छात्रसंघ व कार्यकारिणी का कार्यकाल उस सत्र के छात्रसंघ गठन की तिथि से अगले वर्ष 30 जून तक होगा। 30 जून को छात्रसंघ स्वतः भंग मानी जायेगी। अगले छात्रसंघ के गठन तक संघ के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के कार्यकाल का कार्यवाहक पदाधिकारियों के रूप में विस्तारण महाविद्यालयों के सम्बन्ध में संस्थाध्यक्षों द्वारा तथा विश्वविद्यालय के परिसरों के सम्बन्ध में अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा कुलपति जी के अनुमोदन के उपरांत किया जा सकता है परन्तु यह किसी भी परिस्थिति में

अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 6–8 सप्ताह से अधिक विस्तारित नहीं किया जायेगा।

छात्रसंघ के उद्देश्य — प्रत्येक संस्था में छात्रसंघ के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होंगे–

1–संस्था में पठन–पाठन का वातावरण तैयार करने में सहयोग देना।

2–संस्था के चहुँमुखी विकास हेतु सम्बन्धित संस्था प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।

3–छात्र/छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रणाली का ज्ञान करवाकर उस पर विश्वास सुदृढ़ करना।

4–छात्र–छात्राओं की सामुहिक समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित संस्था, प्रशासन और शासन से विचार–विमर्श करना।

5–संस्था की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करना और संस्था में अनुशासन बनाये रखना।

6–छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु रचनात्मक कार्य करना।

7–समाज को चैतन्य बनाने, विकसित करने तथा व्यवस्थित करने के उद्देश्य से छात्र/छात्राओं के जीवन को सांस्कृतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न करने हेतु कार्यक्रम व क्रिया–क्लापों की व्यवस्था करना जैसे–परिचर्चायें, परिसंवाद और गोष्ठियां, परिभ्रमण व पर्यटन, क्रीड़ा, समाज सेवा, सामाजिक सौहार्द इत्यादि कार्यक्रम आयोजित करना।

संविधान लागू होने की तिथि — यह संशोधित संविधान विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन की तिथि से शिक्षा सत्र 2009–10 से लागू होगा।

4. छात्रसंघ का स्वरूप

प्रत्येक संस्था में छात्रसंघ का स्वरूप निम्नवत् होगा–

संरक्षक — संस्था के संस्थाध्यक्ष सम्बन्धित संस्था के छात्रसंघ के संरक्षक होंगे।

छात्रसंघ — छात्रसंघ पदाधिकारीगण एवं छात्रसंघ कार्यकारिणी का सम्मिलित निकाय।

छात्रसंघ प्रभारी — छात्रसंघ के वार्षिक क्रिया–कलापों की देखरेख तथा कार्य संचालन हेतु संस्थाध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्राध्यापक छात्रसंघ प्रभारी होंगे।

छात्रसंघ पदाधिकारी — विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे–

अध्यक्ष	–	एक पद
उपाध्यक्ष	–	एक पद
उपाध्यक्ष(छात्रा)	–	एक पद
सचिव	–	एक पद
संयुक्त सचिव	–	एक पद
कोषाध्यक्ष	–	एक पद
विश्वविद्यालय प्रतिनिधि	–	एक पद

छात्रसंघ कार्यकारिणी — संकाय प्रतिनिधियों की सम्मिलित सभा। प्रत्येक संकाय से संकाय प्रतिनिधि का एक पद होगा जिसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन छात्रसंघ संविधान के अनुच्छेद – 5 के अनुसार होगा।

<u>नोट–</u> उपाध्यक्ष पद के अतिरिक्त अन्य पदों पर भी छात्रायें सामान्य प्रत्याशी की तरह भाग ले सकती हैं।

5. छात्रसंघ के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्य की पात्रता/अर्हता

छात्रसंघ निर्वाचन के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्य की सामान्य तथा विशिष्ट अर्हता निम्न प्रकार होंगी–

(अ) सामान्य अर्हता

(i) आयु सीमा–

1. स्नातक स्तर के छात्र प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 17 तथा अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। व्यावसायिक महाविद्यालय/परिसरों में जहाँ 4 से 5 वर्ष के पाठयक्रम हैं, वहाँ इस आयु में समुचित रूप से तद्नुरूप छूट दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण:

व्यावसायिक पाठयक्रमों का अर्थ ऐसे समस्त पाठ्यक्रमों से है, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के उद्देश्य से नियंत्रित किया जा रहा हो अथवा/और परिसरों/सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित किया जा रहा हो, परन्तु यह भी कि ऐसे पाठ्यक्रमों के शिक्षण की अवधि कम से कम एक वर्ष की होनी आवश्यक है। परन्तु और भी कि सम्बन्धित व्यावसायिक पाठयक्रम की अवधि प्रत्याशी की आयु में छूट के लिए अनुच्छेद 5(1) के सुसंगत होना अनिवार्य है।

2– स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 25 वर्ष है।

स्पष्टीकरण :

एल–एल0बी0, एल–एल0एम तथा बी0एड0, एम0एड0 के पाठयक्रमों के लिये अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी। ऐसे डिप्लोमा पाठयक्रम जिसमें प्रवेशार्थियों की न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट है, उनकी आयु स्नातक स्तर के छात्र प्रत्याशी के आयु के समान ही होगी। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर के डिप्लोमा पाठयक्रमों हेतु आयु सीमा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के चुनाव लड़ने की आयु के समान ही होगी।

3– उपरोक्त प्रस्तर 1 व 2 में आयु की गणना के लिये मानक तिथि 01 जुलाई होगी।

4–चूँकि शोध छात्रों को भविष्य में शैक्षणिक कार्यो में सहभागीदारी करनी होती है। इसलिए उनके लिये चुनाव नियम यथावत् रहेंगे अर्थात् वे चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकते हैं।

5 शैक्षणिक अवशेष वर्जित–

यद्यपि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं हैं तथापि किसी भी दशा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी/विद्यार्थी के वर्ष में शैक्षणिक अवशेष नहीं होने चाहिए।

6–वांछित न्यूनतम उपस्थिति–

अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करनी चाहिए। अभ्यर्थी के द्वारा परिशिष्ट–2 के अनुसार यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि विगत वर्ष उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत रही है और वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि से अनुच्छेद 5(बी) के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लिखित पदों की विशिष्ठ अर्हताओं के अनुरूप चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने की तिथि तक 75 प्रतिशत उपस्थिति रही है तथा भविष्य में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।

7– प्रत्याशी को अवसर–

प्रत्याशी के पास पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने का मात्र एक अवसर है, और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के दो अवसर होंगे।

8– आपराधिक पृश्ठभूमि वर्जित–

प्रत्याशी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी प्रकार के अपराध के लिए विचारण और/अथवा दोषसिद्धि न हुई हो। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा प्रत्याशी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई नहीं होनी चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र प्रत्याशी द्वारा परिशिष्ट–2 में उल्लिखित प्रारूप में प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:

''विचारण'' का अर्थ यह है कि सम्बन्धित कार्यवाही आरोपित अपराधी के विरूद्ध एफ0आई0आर0, अन्वेषण एवं पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के पश्चात् आरोपित अपराधी द्वारा दोष की स्वीकारोक्ति अथवा दोषी होने से इन्कार करने के उपरान्त प्रारंभ हुई हो, परन्तु यह न्यायालय के निर्णय से पहले की अवस्था हो।

9– संस्थागत पूर्णकालिक प्रत्याशी–

प्रत्याशी को सम्बद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और उसे दूरस्थ/व्यक्तिगत शिक्षा का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सभी अर्ह प्रत्याशियों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का संस्थागत विद्यार्थी होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए।

10–विगत वर्ष में उत्तीर्ण–

प्रत्याशी का विगत वर्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसका शपथ पत्र प्रत्याशी परिशिष्ठ–2 के अनुरूप प्रस्तुत करेगा।

(ब) विशिष्ट अर्हता

उपरोक्त सामान्य अर्हता के अतिरिक्त, विभिन्न पदों हेतु प्रत्याशियों की विशिष्ट अर्हता निम्नवत् है–

स्नातकोत्तर संस्थाओं हेतु (चाहे एक ही विषय में स्नातकोत्तर हो)।

अध्यक्ष	1– इस पद हेतु प्रत्याशी को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2– प्रत्याशी उसी शिक्षण संस्था में गतवर्ष संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
उपाध्यक्ष (छात्र)	1– प्रत्याशी स्नातक द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
एवं उपाध्यक्ष(छात्रा)	2– प्रत्याशी गतवर्ष उसी शिक्षण संस्था में संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
सचिव	1– प्रत्याशी स्नातक द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2– प्रत्याशी उसी शिक्षण संस्था में गत वर्ष संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
संयुक्त सचिव	विधि एवं शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों को छोड़कर संस्था में स्नातक स्तर में अध्ययनरत कोई भी विद्यार्थी प्रत्याशी हो सकता/सकती है।
कोषाध्यक्ष	संस्था की किसी भी कक्षा में अध्ययनरत कोई विद्यार्थी प्रत्याशी हो सकता/सकती है।
संकाय प्रतिनिधि	सम्बन्धित संकाय का छात्र/छात्रा ही प्रत्याशी हो सकता/सकती है।
विश्वविद्यालय प्रतिनिधि	इस पद हेतु प्रत्याशी की अर्हता अध्यक्ष छात्रसंघ के समकक्ष होगी।

स्नातक स्तर की संस्थाओं हेतु (जिनमें किसी भी विषय में स्नातकोत्तर नहीं हैं)

अध्यक्ष	1– प्रत्याशी स्नातक तृतीय वर्ष में अध्ययनरत् होना चाहिए। 2–प्रत्याशी गतवर्ष उसी संस्था का नियमित संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
उपाध्यक्ष(छात्र)	1–प्रत्याशी स्नातक द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए।
एवं उपाध्यक्ष(छात्रा)	2–प्रत्याशी गत शैक्षिक स़त्र में उसी संस्था में संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो ।

<u>**नोट**</u>: महिला महाविद्यालयों में उपाध्यक्ष का केवल एक पद होगा।

सचिव	1–प्रत्याशी स्नातक द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। 2–प्रत्याशी गत शैक्षिक सत्र में उसी संस्था में संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
संयुक्त सचिव	प्रत्याशी स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् हो।
कोषाध्यक्ष	संस्था में अध्ययनरत कोई भी विद्यार्थी प्रत्याशी हो सकता/सकती है।

संकाय प्रतिनिधि	सम्बन्धित संकाय का विद्यार्थी ही प्रत्याशी हो सकता/सकती है।
विश्वविद्यालय प्रतिनिधि	इस पद हेतु प्रत्याशी की अर्हता अध्यक्ष छात्रसंघ के समकक्ष होगी।

निर्वाचन सम्बन्धी खर्चे और वित्तीय जवाब देही–

1–प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन में व्यय करने की अधिकतम अनुमति रू0 5000.00 (पॉच हजार) है।

2– प्रत्येक प्रत्याशी सम्बद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर प्राधिकारियों को चुनाव परिणाम घोशित होने के दो सप्ताह के अन्तर्गत स्वप्रमाणित लेखा प्रस्तुत करेगा। सम्बद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर इस प्रकार से प्रस्तुत लेखा को 2 दिन के अन्तर्गत समुचित माध्यम से प्रकाशित करेगा, प्रकाशन के आधार पर छात्र निकाय का कोई भी सदस्य इसका परीक्षण कर सकेगा।

3– इस नियम का पालन नहीं करने अथवा अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द कर दिया जायेगा।

4– प्रत्याशी छात्र निकाय के सदस्यों से स्वैच्छिक अंशदान के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अथवा निकाय अथवा राजनीतिक दलों से निर्वाचन के व्यय के लिए धन प्राप्त नहीं करेगा। प्रत्याशियों/प्रत्याशी को अन्य श्रोतों से प्राप्त धन को विशेष रूप से निर्वाचन में व्यय करने से रोका जायेगा।

निर्वाचन सम्बन्धी खर्चे और वित्तीय जवाबदेही की उपरोक्त अनिवार्यताओं का अनुपालन करने का भापथ पत्र प्रत्याशी के द्वारा परिशिष्ठ–2 के प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

6. सम्बद्ध महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय परिसरों में अशान्त वातावरण में विद्यार्थी प्रतिनिधित्व का स्वरूप–

1– जहाँ परिसरों/सम्बद्ध महाविद्यालयों का वातावरण शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विपरीत है, वहाँ मनोनयन के आधार पर विद्यार्थी प्रतिनिधित्व गठित किया जायेगा। इस प्रकार की मनोनयन पद्धति विशुद्ध रूप से शैक्षणिक योग्यता पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

2– जहाँ निर्वाचन करा पाना उपरोक्त कारण से सम्भव नहीं है अथवा मनोनयन स्वरूप प्रचलित है, वहाँ मनोनयन स्वरूप की अनुमति सीमित समय के लिए ही होनी चाहिए। मनोनयन पद्वति केवल अन्तरिम व्यवस्था के रूप में ही लागू होनी चाहिए।

3– निर्वाचन के सम्भव आकार के अधीन, सभी संस्थान 5 वर्षो के अन्तराल में विद्यार्थी प्रतिनिधित्व के मनोनयन स्वरूप को सुव्यवस्थित निर्वाचन में परिवर्तित करेंगे। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति अथवा दोनों का मिला–जुला स्वरूप हो सकता है। सभी संस्थानों, विशेषकर स्ववित्त पोषित निजी संस्थानों द्वारा उपरोक्त परिवर्तन का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।

4– सभी संस्थान मनोनयन के आधार पर गठित ''विद्यार्थी प्रतिनिधित्व स्वरूप'' का पुनर्विलोकन करेंगे। मनोनयन पद्धति को लागू करने के दो वर्षो के पश्चात् प्रथम पुनर्विलोकन होगा, आवश्यकतानुसार तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ष के पश्चात् द्वितीय पुनर्विलोकन होगा। पुनर्विलोकनों का प्रारंभिक उद्देश्य प्रत्येक प्रतिष्ठान में प्रतिनिधि तंत्र तथा चुनाव तंत्र की सफलता का पता लगाना होगा, और उसी आधार पर यह निर्णय लिया जायेगा कि क्या सम्पूर्ण निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाए अथवा नहीं ? सम्बन्धित पुनर्विलोकन विद्यार्थियों, संकाय प्रशासन, विद्यार्थी निकाय और विद्यार्थियों के माता–पिता के विचारों और सुझावों पर भी आधारित होगा।

5– निर्वाचन के स्वरूप के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के आधीन आवश्यकता पड़ने पर, विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों, महाविद्यालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च विद्यार्थी निकाय का गठन किया जा सकेगा।

6– उच्च प्रतिनिधिक निकाय के लिए मनोनयन/निर्वाचित किये गये विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय के नियमित छात्र होंगे। संकाय और/या प्रशासन के किसी सदस्य को प्रतिनिधि निकाय में कोई पद धारण करने की अनुमति नहीं होगी तथा न ही किसी प्रतिनिधिक निकाय में सदस्य बनने की अनुमति दी जायेगी।

7. निर्वाचन की पद्धति–

1. छात्रसंघ के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित लेखा चित्र में प्रदर्शित पद्धति अपनाई जायेगी जिसके अनुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों और परिसरों में छात्रसंघ पदाधिकारियों तथा संकाय प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इस पद्धति का लेखा चित्र निम्न प्रकार है।

लेखा चित्र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निर्वाचन—

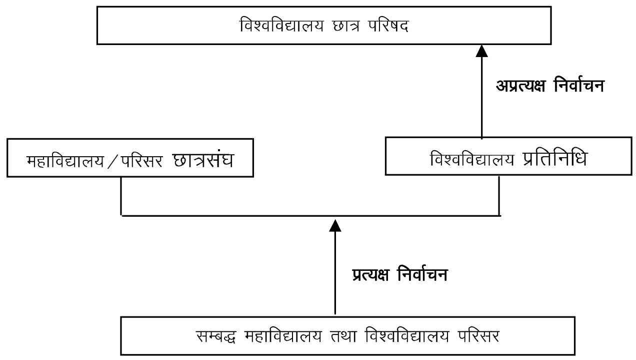

छात्र चुनाव और छात्र प्रतिनिधि राजनैतिक दलों से पृथक रहेंगे।

2. निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति, जो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है, उसे किसी भी क्षमता में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो कोई व्यक्ति, प्रत्याशी अथवा विद्यार्थी संघ का सदस्य, इस नियम का उल्लंघन करता है, उसका निर्वाचन रद्द करने के अतिरिक्त उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

3. विश्वविद्यालय स्तरीय विद्यार्थी प्रतिनिधिक निकाय—

प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय छात्र परिषद के निर्वाचन मण्डल का गठन करेंगे। इसी निर्वाचक मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय छात्र परिषद के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाऐगा।

विश्वविद्यालय छात्र परिषद उन मुद्दों, जो परिसर—विशेष अथवा महाविद्यालय— विशेष तक सीमित न होकर पूरे विश्वविद्यालय विद्यार्थी समुदाय से संबंधित हो, के विषय में विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रतिनिधित्व करेगा। जहां परिसर अथवा महाविद्यालय स्तरीय छात्रसंघ अपने परिसर अथवा महाविद्यालय तक सीमित विषय/ विषयों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन अथवा परिसर/महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो ऐसे विषय/ विषयों में विश्वविद्यालय छात्र परिषद भी उसका सहयोग करेगी।

8. <u>निर्वाचन प्रक्रिया की आवृति और अवधि</u>—

1. निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया, जो नामांकन पत्र प्रस्तुत करने से परिणाम घोषित करने की तिथि तक होगी एवं जिसमें चुनाव प्रचार भी सम्मिलित है, वह सब मिलाकर 10 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. निर्वाचन वार्षिक आधार पर होंगे एवं सामान्यतः यह शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 6 से 8 सप्ताह के मध्य होने चाहिए। अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में ही, कुलपति जी की पूर्व अनुमति से, निर्वाचन प्रक्रिया को विलम्बतम् अगले छह सप्ताह की अवधि के भीतर सम्पन्न कराया जा सकेगा।

9. निर्वाचन प्रक्रिया

1. यदि संस्थाध्यक्ष आवश्यक समझते हो तो समस्त निर्वाचन प्रक्रिया के संचालनार्थ अधिकतम चार सदस्यीय निर्वाचन समिति का गठन कर सकते हैं। जिसमें छात्र संघ प्रभारी पदेन मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। समिति के शेष सदस्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
2. जिन संस्थाओं में निर्वाचन समिति गठित करने की आवश्यकता अनुभव न की जाती हो, वहाँ छात्रसंघ प्रभारी ही निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुये समस्त निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे।
3. निर्वाचन प्रक्रिया जैसे नामांकन दाखिल करना, नाम वापसी, मतदान, मतगणना, निर्वाचन परिणाम की घोषणा और शपथ ग्रहण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, निर्वाचन अधिसूचना जारी करेंगे, जिसमें उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं से सम्बन्धित समय और तिथियों का उल्लेख किया जायेगा।
4. निर्वाचन की अधिसूचना के उपरांत अधिकतम 10 दिनों के भीतर समस्त निर्वाचन प्रक्रिया (नामांकन दाखिल करने से लेकर शपथ ग्रहण तक) सम्पन्न कर ली जायेगी।
5. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है या विवाद उत्पन्न होता है और इस सम्बन्ध में यदि विधिवत् शिकायत प्राप्त होती है तो संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित निर्वाचन समिति/छात्रसंघ प्रभारी, जैसी भी स्थिति हो, उस पर विचार कर अपना निर्णय देगा/देगी। लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रत्याशी को इस निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
6. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अर्थात नामांकन दाखिल करने के पश्चात् और परिणामों की घोषणा से पूर्व किसी प्रत्याशी की असामयिक मृत्यु हो जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित नहीं की जायेगी। मृतक को सम्बन्धित पद में सर्वाधिक मत प्राप्त हो जाने पर उसे निर्वाचित घोषित न कर उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
7. अनुच्छेद 19 (व) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये छात्रसंघ के गठन के पश्चात् शैक्षिक सत्रान्त से पूर्व किसी पदाधिकारी की असामयिक मृत्यु हो जाने अथवा किसी पदाधिकारी द्वारा संस्था छोड़ देने अथवा किसी पदाधिकारी के पदच्युत हो जाने के कारण यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो उस पद हेतु पुनः निर्वाचन नहीं किया जायेगा, वरन् पद सत्रान्त तक रिक्त रहेगा।

10 नामांकन दाखिल करना एवं नामांकन वापसी–

नामांकन दाखिल करना–

1. नामांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप (परिशिष्ट–1) में निर्धारित तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किया जायेगा।
2. नामांकन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करना आवश्यक होगा। अपूर्ण नामांकन प्रपत्र निरस्त (रद्द) कर दिया जायेगा।
3. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर प्रत्याशी द्वारा अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाना अनिवार्य होगा।
4. नामांकन प्रपत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण पत्र और स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण तक सभी परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा अथवा रद्द कर दिया जायेगा।
5. प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक–एक प्रस्तावक और एक–एक अनुमोदक होगा जो उसी संस्था का संस्थागत छात्र/छात्रा, होगा/होगी।
6. संकाय प्रतिनिधि पद हेतु प्रस्तावक और अनुमोदक उसी संकाय का संस्थागत छात्र/छात्रा होना आवश्यक है।
7. किसी एक प्रत्याशी का प्रस्तावक और अनुमोदक उसी पद हेतु अन्य किसी भी प्रत्याशी का प्रस्ताव अथवा अनुमोदक नहीं हो सकता।
8. सक्षम समिति/अधिकारी के सम्मुख नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्याशी, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक को स्वयं उपस्थित होकर नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान में हस्ताक्षर करने होंगे।

9. नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक द्वारा संस्था का वर्तमान शिक्षा सत्र का परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पद हेतु नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा।
11. किसी पद के लिये केवल एक नामांकन पत्र के वैध होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।
12. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थानों पर प्रत्याशी/प्रस्तावक/अनुमोदक का वही नाम अंकित होना चाहिए जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार सम्बन्धित संस्था में दर्ज किया गया हो। कोई भी उपनाम मान्य नहीं होगा। नाम/नामों में भिन्नता होने अथवा उप नाम लिखे होने की स्थिति में नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।
13. प्रत्याशी को नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–2) में नामांकन शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छात्र संघ संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगा/करेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने की दशा में उसे छात्र संघ निर्वाचन प्रक्रिया से अलग कर दिया जायेगा अथवा उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसा शपथ पत्र रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर ओथ कमिश्नर या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

नामांकन शुल्क एवं जमानत राशि

प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय निम्नानुसार नामांकन शुल्क तथा जमानत राशि सक्षम समिति/अधिकारी के सम्मुख जमा करनी होगी। बिना नामांकन शुल्क और जमानत राशि के नामांकन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

पद	**नामांकन शुल्क**	**जमानत राशि**	**योग**
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और वि0वि0 प्रतिनिधि	रू0 800.00	रू0 1200.00	रू0 2000.00
संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष	रू0 500.00	रू0 1200.00	रू0 1700.00
संकाय प्रतिनिधि	रू0 300.00	रू0 1200.00	रू0 1500.00

1. नामांकन शुल्क नाम वापस लेने वाले प्रत्याशी को छोड़कर अन्य प्रत्याशियों को वापस नहीं किया जायेगा। नामांकन से प्राप्त धनराशि का प्रयोग निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न विभिन्न आकस्मिक व्ययों की प्रतिपूर्ति में किया जायेगा।
2. किसी पद विशेष हेतु हुए कुल मतदान का 1/6 या इससे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात् जमानत राशि वापस कर दी जायेगी। किन्तु जिन प्रत्याशियों को 1/6 से कम मत प्राप्त होंगे उन्हें जमानत राशि वापस नहीं की जायेगी। इस धनराशि का प्रयोग भी उपरोक्त क्रम 1 के अनुसार किया जायेगा।
3. नाम वापस लेने वाले प्रत्याशियों को नाम वापसी के समय सम्पूर्ण जमानत राशि के साथ–साथ नामांकन शुल्क में रू0 200/– निर्वाचन व्यय घटाकर शेष नामांकन शुल्क वापस कर दिया जायेगा।

नाम वापसी

1. नामांकन वापसी हेतु प्रत्याशी द्वारा दो साक्ष्यों जो संस्था में संस्थागत छात्र/छात्रा होंगे के साथ निर्धारित प्रारूप में (परिशिष्ट–03) निर्धारित तिथि और समय के भीतर सक्षम अधिकारी के सम्मुख आवेदन करना होगा।

2. आवेदन करते समय प्रत्याशी एवं साक्ष्यों को संस्था का अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. नामांकन वापसी के बाद वैध प्रत्याशियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से पद वार देवनागिरी वर्णमाला क्रम में जारी की जायेगी।

11. मतदान प्रक्रिया–

1. नामांकन वापसी के पश्चात् वैध प्रत्याशियों हेतु ही मतदान कराया जायेगा।
2. मतदान प्रजातांत्रिक तरीके से एक पद एक मत के आधार पर कराया जायेगा।
3. मतदान हेतु "गुप्त मतदान पद्धति" अपनायी जायेगी।
4. संस्था में मतदाताओं की संख्या के आधार पर एक अथवा अधिक मतदान केन्द्र बनाये जा सकते हैं।
5. प्रत्येक मतदान स्थल पर मतदान करवाने हेतु संस्थाध्यक्ष द्वारा टीम गठित की जायेगी। यह टीम प्रत्येक कक्षा से सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा परिसर के पदाधिकारियों तथा संकाय प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करायेगी।
6. अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्षों, सचिव, संयुक्त सचिव, वि0वि0 प्रतिनिधि और कोषाध्यक्ष हेतु संस्था के समस्त मतदाताओं द्वारा मतदान किया जायेगा, जबकि संकाय प्रतिनिधि हेतु सम्बन्धित संकाय के मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा।
7. मतपत्र पर क्रमांक मुद्रित किया जायेगा।
8. मतदाता को मत पत्र निर्गत करने से पूर्व मत पत्र प्रतिपर्ण में मतदाता के हस्ताक्षर कराये जायेंगे और मतपत्र के पर्ण पर मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
9. यदि प्रत्याशी चाहे तो मतदान स्थल पर स्वयं उपस्थित रह सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति के दौरान प्रत्याशी का अभिकर्ता मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं रहेगा।
10. मतदान स्थल पर उपस्थित प्रत्याशी को मतदान से पूर्व मत पेटी खाली होने और उनके सम्मुख मत पेटी सील बन्द करने सम्बन्धी घोषणा पत्र में यदि चाहें तो (परि0– 4) हस्ताक्षर कर सकते हैं। और इस प्रकार मतदान समाप्ति पर उनके सम्मुख मत पेटी सील बन्द करने सम्बन्धी घोषणा पत्र (परि0– 5) पर यदि चाहें तो हस्ताक्षर कर सकते हैं।
11. यदि मतदान प्रारम्भ होने से 5 मिनट पूर्व तक कोई भी प्रत्याशी मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो मतदान अधिकारी मतपेटी सील बन्द कर निर्धारित समय में मतदान प्रारम्भ करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
12. मतदाता द्वारा संस्था का वर्तमान सत्र का परिचय पत्र सम्बन्धित मतदान स्थल के अधिकारियों को दिखाने पर ही उसे मतदान का अधिकार दिया जायेगा।
13. संस्था के निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रास चिन्ह (X) वाले मुहर द्वारा ही मतदान किया जायेगा।
14. प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा मतदान स्थल के भीतर तथा संस्था, परिसरों के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसे निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
15. मतदान समाप्ति के बाद मतदान अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (परि0–6) में मतपत्र लेखा तैयार कर मतपेटी के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हस्तगत करना होगा।
16. मतदान के उपरान्त किसी हिंसक वारदात अथवा अन्य किसी कारण से मतदान में व्यवधान होने पर निर्वाचन समिति की संस्तुति पर संरक्षक द्वारा मतदान स्थगित किया जा सकता है। स्थगन सम्पूर्ण शिक्षा सत्र के लिए भी हो सकता है, स्थगन की अवधि व्यवधान उत्पन्न होने के कारणों, प्रकृति और संवेदनशीलता आदि पर निर्भर करेगी।
17. मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु संस्थाध्यक्ष उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य नियम भी निर्गत कर सकते हैं।

12. मतगणना प्रक्रिया–

1. मतदाताओं की संख्या के आधार पर एक अथवा अधिक मतगणना केन्द्र बनाये जा सकते हैं।

2. निर्वाचन समिति अथवा अधिकारी की देख–रेख में निर्धारित समयानुसार विभिन्न मतगणना केन्द्रों पर मतगणना कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. प्रत्याशी मतगणना केन्द्र पर स्वयं उपस्थित रह सकते हैं अथवा मतगणना केन्द्र हेतु निर्धारित मतगणना नियुक्ति प्रपत्र (परि0 7) द्वारा एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। अभिकर्ता नियुक्त पत्र मतगणना अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने पर ही अभिकर्ता को मतगणना केन्द्र पर उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. कोई भी मतगणना अभिकर्ता मतगणना समाप्ति से पूर्व मतगणना स्थल नहीं छोड़ेगा।

5. मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व उपस्थित प्रत्याशी/अभिकर्ताओं द्वारा मत पेटी के सील बन्द होने की निर्धारित घोषणा पत्र (परि0–8) पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे। इसी प्रकार मतगणना समाप्ति पर मतगणना से संतुष्ट होने और मतगणना परिणामों को स्वीकार करने के निर्धारित घोषणा प्रपत्र (परि0–9) पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे। मतगणना समाप्ति के पश्चात् मतगणना अधिकारियों द्वारा भी मतगणना शीट पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

6. मतगणना 50–50 अथवा 100–100 मत पत्र के बंडल बनाकर की जायेगी। प्रत्येक बंडल की गणना के बाद उपस्थित अभिकर्ता अपनी गणना का मूल्यांकन मतगणना अधिकारियों की गणना से करेंगे। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उस बंडल की उसी समय पुनः मतगणना कर ली जायेगी।

7. मतगणना अधिकारियों की मतगणना अंतिम मानी जायेगी और इस गणना के आधार पर संस्थाध्यक्ष अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी।

8. उपलब्ध करायी गयी मोहर के चिन्ह के अतिरिक्त मतदाता द्वारा मत पत्र पर कोई अन्य चिन्ह या स्याही अथवा पैन का प्रयोग किये जाने पर मत पत्र अवैध माना जायेगा।

9. यदि मतपत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो अथवा उस पर कुछ लिखा गया हो तो मतपत्र अवैध माना जायेगा।

10. यदि एक मतपत्र में एक से अधिक पदों हेतु मतदान कराया गया हो और उनमें एक या कुछ प्रत्याशियों के सम्मुख कोई निशान बनाया गया हो या कुछ लिखा गया हो तो उस पद/पदों हेतु मत अवैध होगा। किन्तु अन्य पदों हेतु मत वैध माना जायेगा।

11. क्रास चिन्ह किसी पद के दो प्रत्याशियों के सम्मुख होने की स्थिति में मत की गिनती उस प्रत्याशी के मत में की जायेगी जिस प्रत्याशी के खाने में चिन्ह का कटान बिन्दु स्थित होगा। कटान बिन्दु दो प्रत्याशियों के मध्य स्थित लाईन के ठीक ऊपर होने पर उस पद हेतु मत अवैध होगा।

12. किसी पद के एक या अधिक प्रत्याशी को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में लाटरी द्वारा परिणाम की घोषणा की जायेगी। बराबर मत प्राप्त होने वाले प्रत्याशियों के नामों की पर्चियों में से संस्थाध्यक्ष द्वारा एक पर्ची उठायी जायेगी और जिस प्रत्याशी के नाम की पर्ची उठेगी उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

13. यदि किसी पद हेतु निर्वाचित प्रत्याशी और उसके निकटतम प्रतिद्वन्दी के बीच अधिकतम 3 मतों का अन्तर है अर्थात् हार जीत का अन्तर अधिकतम तीन मतों का होने पर निकटतम प्रतिद्वन्दी (हारने वाला प्रत्याशी) यदि चाहे तो परिणाम की घोषणा के 30 मिनट के भीतर रू0 500/– मात्र की धनराशि जो किसी भी दशा में लौटायी नहीं जायेगी के साथ पुनर्मतगणना हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

    पुनर्मतगणना का परिणाम अन्तिम और सर्वमान्य होगा। तत्पश्चात् कोई मतगणना नहीं की जायेगी।

14. मतगणना के पश्चात् सभी मत पत्र छात्र संघ प्रभारी की निगरानी में रखे जायेंगे और एक सप्ताह बाद संस्थाध्यक्ष की अनुमति लेकर विनिष्टीकरण हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा नष्ट कर दिये जायेंगे। कोई विवाद लम्बित होने की स्थिति में विवाद के निपटारे के एक सप्ताह के बाद मत पत्र नष्ट कर दिये जायेंगे। मत पत्रों का विनिष्टीकरण हो जाने पर समिति अविलम्ब इस सन्दर्भ में संस्थाध्यक्ष को विहित प्रारूप (परिशिष्ट 11) में सूचित करेगी।

15. छात्र संघ चुनाव संबंधी दस्तावेजों के विनिष्टीकरण के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय में एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा, जो कि निम्नवत होगी :

    (अ) विश्वविद्यालय परिसर में :

अधिष्ठाता छात्र कल्याण – पदेन समन्वयक होंगे;

अन्य सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण इसके सदस्य होंगे।

(ब) सम्बद्ध महाविद्यालय में :

छात्र संघ प्रभारी – पदेन समन्वयक होंगे

मुख्य कुलानुशासक – सदस्य

संस्थाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य होंगे।

13. छात्रसंघ पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य

छात्रसंघ विद्यार्थियों का प्रतिनिधि निकाय होने के नाते संस्था प्रशासन का केवल सहायक अंग है और प्रत्येक दशा में यह संस्था प्रशासन एवं उसके विभिन्न नियमों के अन्तर्गत कार्य करेगा। इसलिये अनुच्छेद तीन में उल्लिखित छात्रसंघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पदाधिकारियों एवं संकाय प्रतिनिधियों के लिए पदवार निम्नलिखित अधिकार एवं कर्त्तव्य सुनिश्चित किये जाते हैं।

अध्यक्ष–

1. छात्र संघ की बैठक की अध्यक्षता करना।
2. संघ की बैठक आयोजित करने हेतु सचिव को निर्देशित करना।
3. संस्था–प्रशासन को छात्र/छात्राओं की सामूहिक समस्याओं से अवगत कराना और उनके समाधान हेतु वार्ता एवं विचार विमर्श करना।
4. संघ के विभिन्न पत्रजातों तथा व्यय पत्रों पर हस्ताक्षर करना।
5. बैठक में उठाये गये बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार करना और समाधान प्रस्तुत करना।

उपाध्यक्ष–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यदि आवश्यक हो तो, दोनों उपाध्यक्षों में उच्च कक्षा का उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा। यदि दोनों एक ही कक्षा से हों तो अधिक आयु वाला/वाली उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा/करेगी।
2. अन्य बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर बहस/चर्चा में भाग लेना एवं विचार विमर्श करना।

सचिव–

1. अध्यक्ष के निर्देशानुसार समय–समय पर छात्रसंघ की बैठक आयोजित करना।
2. समस्त पत्र व्यवहार करना।
3. बैठकों में लिये गये निर्णयों को अभिलेखों में प्रविष्ट करना।
4. छात्रसंघ प्रभारी के माध्यम से संस्थाध्यक्ष को बैठकों में लिये गये विभिन्न निर्णयों से अवगत कराना।
5. संघ के व्यय वाउचरों को सत्यापित करना।

संयुक्त सचिव–

1. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्यों का निर्वहन करना।
2. छात्रसंघ की बैठकों, चर्चाओं में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव रखना।

कोषाध्यक्ष–

1. बैठकों में छात्रसंघ कोष के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना।
2. संघ के समस्त व्यय वाउचरों को अवलोकनार्थ एवं प्रमाणित कराने हेतु छात्रसंघ प्रभारी के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. संघ की बैठकों, चर्चाओं में भाग लेना और अपने सुझाव/विचार रखना।

विश्वविद्यालय प्रतिनिधि–

प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय छात्र परिषद के निर्वाचन मण्डल का गठन करेंगे। इसी निर्वाचक मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय छात्र परिषद के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाऐगा।

विश्वविद्यालय छात्र परिषद उन मुद्दों, जो परिसर–विशेष अथवा महाविद्यालय– विशेष तक सीमित न होकर पूरे विश्वविद्यालय विद्यार्थी समुदाय से संबंधित हो, के विषय में विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रतिनिधित्व करेगा। जहां परिसर अथवा महाविद्यालय स्तरीय छात्रसंघ अपने परिसर अथवा महाविद्यालय तक सीमित विषय/ विषयों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन अथवा परिसर/महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो ऐसे विषय/ विषयों में विश्वविद्यालय छात्र परिषद भी उसका सहयोग करेगी।

संकाय प्रतिनिधि–

1. छात्रसंघ की बैठकों में सम्बन्धित संकाय की समस्याओं को रखना और उनके निराकरण हेतु चर्चा करवाना।
2. बैठकों में अन्य पदाधिकारियों की भांति विभिन्न मुद्दों पर बहस एवं चर्चा में भाग लेना और अपने विचार रखना।

14. बैठक तथा कार्यविधि–

छात्रसंघ की सामान्यतया एक माह में एक बैठक होगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा एक माह से पूर्व भी बैठक आयोजित की जा सकती है।

गणपूर्ति–

छात्रसंघ की कोई भी बैठक तभी मान्य होगी जबकि उसमें अध्यक्ष, कम से कम एक उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित पूर्ण छात्रसंघ के आधे से अधिक सदस्य उपस्थित होंगे।

कार्यविधि–

छात्रसंघ की बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों द्वारा क्रमवार समस्यायें रखी जायेंगी और उन पर बहस/चर्चा करायी जायेगी। बैठक की कार्यवाही सचिव द्वारा अभिलेखों में प्रविष्ट की जायेगी। बैठक में किसी व्यक्तिगत समस्या के सन्दर्भ में विचार विमर्श न होकर सामुहिक हित सम्बन्धी बिन्दुओं/समस्याओं पर विचार किया जायेगा।

निर्णय–

1. बैठक में लिये गये निर्णय उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक के बहुमत प्राप्त होने पर ही मान्य होंगे।
2. बैठक में लिये गये निर्णयों से छात्रसंघ प्रभारी के माध्यम से संस्था अध्यक्ष को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
3. संस्थाध्यक्ष के साथ पदाधिकारियों की किसी विषय पर चर्चा से पूर्व छात्रसंघ प्रभारी के माध्यम से अनुमति और समय लेना आवश्यक होगा तथा चर्चा का एजेंडा भी पहले से तय होगा।
4. वैधता हेतु सामान्य निर्णयों के अतिरिक्त अन्य निर्णय जैसे– हड़ताल, अनशन, आमरण अनशन, कक्षाओं का बहिष्कार, धरना और ताला बन्दी इत्यादि छात्रसंघ की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होने चाहिए। ऐसी बैठकों में सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति और निर्णयों में उनके बहुमत की सहमति होना आवश्यक होगी। ऐसे निर्णयों की लिखित सूचना इनके क्रियान्वयन से कम से कम चार दिन पूर्व संस्थाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा।

15. छात्रसंघ कोष तथा उसका उपयोग–

1. छात्रसंघ कोष संस्था के संस्थागत छात्र/छात्राओं से छात्रसंघ सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि से निर्मित होगा। छात्रसंघ सदस्यता शुल्क राशि सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार

निर्धारित की जायेगी। सदस्यता शुल्क राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार संस्थाध्यक्ष को होगा।

2. छात्रसंघ कोष किसी भी स्थानीय बैंक में संस्थाध्यक्ष/संरक्षक के अधीन रहेगा।

3. इस कोष का प्रयोग छात्रसंघ निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक सामग्री के क्रय, मतदाता सूचियों के प्रकाशन, मतपत्र छपवाने, छात्रसंघ के लैटर पैड छपवाने तथा स्टेशनरी आदि क्रय करने से सम्बन्धित व्ययों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त छात्र हित में शिष्टमंडल ले जाने, निर्धन छात्र/छात्राओं को सहायता प्रदान करने, मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत करने और आपदा राहत आदि में किया जा सकता है।

4. छात्रसंघ कोष से धनराशि प्राप्त करने हेतु सचिव द्वारा छात्रसंघ प्रभारी के अग्रसारण/संस्तुति सहित आवेदन पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र में अध्यक्ष कोषाध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी। छात्रसंघ प्रभारी के अग्रसारण/संस्तुति के बिना धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

5. छात्रसंघ कोष से एक हजार रूपये से अधिक धनराशि व्यय करने सम्बन्धी व्यय प्रस्तावों से सम्बन्धित धनराशि हेतु आवेदन करने से पूर्व इसे छात्रसंघ के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। यदि अतिआवश्यक कार्य हेतु तत्काल धनराशि की आवश्यकता हो और छात्रसंघ की बैठक आहूत करना सम्भव न हो तो कार्य सम्पादन के बाद ऐसे व्ययों को छात्रसंघ के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित कराना आवश्यक होगा अन्यथा अगला व्यय प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6. छात्रसंघ कोष से स्वीकृत धनराशि सामान्यतया कोषाध्यक्ष के नाम से निर्गत की जायेगी, किन्तु कोषाध्यक्ष की लिखित सहमति होने पर धनराशि अन्य किसी पदाधिकारी के नाम पर भी निर्गत की जा सकती है।

16. छात्रसंघ पदाधिकारियों, सदस्यों और निर्वाचन प्रशासन के लिए आचार संहिता—

1. कोई भी प्रत्याशी कोई ऐसी गति—विधि अथवा उसका अवप्रेरण नहीं करेगा, जिससे विभेद को बढ़ावा मिलता हो, अथवा पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होता हो, अथवा विभिन्न जातियों, धार्मिक एवं भाषाई समुदायों अथवा विभिन्न छात्र समूहों के मध्य विवाद कारित होता हो।

2. अन्य प्रत्याशियों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्तों और कार्यों तक सीमित होनी चाहिए। सभी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के निजी जीवन के सभी पहलुओं, जो लोक कार्य—कलापों से सम्बन्धित नहीं हैं, की आलोचना से दूर रहेंगे। अन्य प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर अप्रमाणित आरोप लगाने अथवा मिथ्या वर्णन करने से भी प्रत्याशी दूर रहेंगे।

3. मत प्राप्त करने के लिये जाति अथवा साम्प्रदायिक भावना के आधार पर आग्रह नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर अथवा बाहर पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।

4. सभी प्रत्याशियों हेतु ऐसे कृत्य अथवा उनका उत्प्रेरण करना, जो कि भ्रष्ट आचरण तथा अपराध की श्रेणी में आते हों, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें आतंकित करना, छद्म मतदाता बनाना, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 24 घंटे पूर्व तक की अवधि के भीतर जनसभा करना, तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आवागमन अथवा यातायात के साधनों द्वारा लाना—ले जाना प्रतिषिद्ध होगा।

5. किसी भी प्रत्याशी को प्रचार के लिए मुद्रित इश्तहार, मुद्रित पैम्पलेट (पुस्तिका) अथवा किसी अन्य मुद्रित सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। प्रचार के लिए प्रत्याशी केवल हाथ से बने हुये, ऐसे इश्तहारों का प्रयोग कर सकते हैं, जो विहित व्यय के अन्तर्गत ही सृजित किये गये हैं।

6. किसी भी प्रत्याशी को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के बाहर जलूस निकालने अथवा जनसभा करने अथवा किसी भी तरह का प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।

7. बिना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के किसी भी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थकों को महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए विरूपित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं करने दिया जायेगा। सभी प्रत्याशी संयुक्त और पृथक रूप से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को विरूपित/क्षतिग्रस्त करने के लिए दायित्वाधीन होंगे।

8. प्रत्याशी चुनाव के दौरान जलूस और/अथवा जन सभायें कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार के जलूसों और जनसभाओं से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार से कक्षाओं के संचालन और अन्य

शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य–कलापों में व्यवधान नहीं डाला जा सकेगा। ऐसा कोई जलूस/जनसभा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

9. प्रचार के उद्देश्य के लिए ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर), वाहनों और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।

10. मतदान के दिन विभिन्न छात्र संगठन और प्रत्याशी–

(क) निर्वाचन के कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा मतदाताओं को बिना किसी खीज अथवा व्यवधान पहुँचाये उनके स्वतन्त्र मतदान के उपयोग में सहयोग करेंगे।

(ख) मतदान के दिन पेयजल के अलावा कोई भी तरल अथवा ठोस पदार्थ को पीने अथवा खाने के लिए न देंगे और न वितरित करेंगे।

(ग) मतदान के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।

11. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी छात्र/व्यक्ति, निर्वाचन समिति अथवा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध परिपत्र/पत्र के बिना निर्वाचन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

12. चुनाव आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकते हैं। स्ववित्त पोषित संस्थानों के मामलों में सरकारी सेवकों को भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। यदि प्रत्याशियों को निर्वाचन सम्बन्धी विशेष शिकायत अथवा समस्या हो, वे इसको पर्यवेक्षक की जानकारी में ला सकते हैं।

पर्यवेक्षक की नियुक्ति ऐसे संस्थानों में भी की जायेगी, जहां विद्यार्थी प्रतिनिधित्व की नामांकन पद्धति के अन्तर्गत विद्यार्थी प्रतिनिधियों का नामांकन किया जा रहा हो।

13. सभी प्रत्याशी संयुक्त रूप से निर्वाचन सम्पन्न होने के 48 घंटे के अन्दर निर्वाचन स्थल की सफाई करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

14. **शास्ति :**

उपरोक्त आचार संहिता के विपरीत कार्य करने में प्रत्याशी का प्रत्याशित्व अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, निराकृत हो सकता है। निर्वाचन आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी, उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।

15. उपर्युक्त रूप से वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 153–क (विभिन्न वर्गों के मध्य विद्वेश को बढ़ावा देना) और अध्याय 9–क निर्वाचन सम्बन्धी अपराध (रि वत देना, अनुचित दबाव डालना, छद्म मतदान, असत्य घोशणा आदि) भी छात्रसंघ निर्वाचन में लागू होंगे।

17. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होगा। इसका अध्यक्ष अधिष्ठाता छात्र कल्याण /छात्र कल्याण हेतु प्रभारी शिक्षक होगा। इसके अतिरिक्त संकाय का एक वरिष्ठ सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत, इस कार्य हेतु नामित एक छात्र और एक छात्रा (विद्यार्थियों को मेरिट और/अथवा पूर्व वर्ष में सह शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर नामित किया जा सकता है) भी इसके सदस्य होंगे।शिकायत प्रकोष्ठ निर्वाचन सम्बन्धी समस्त शिकायतों के निवारण के लिए अनिवार्य रूप से गठित किया जायेगा, और उसकी व्यापक अधिकारिता में निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन एवं निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय की शिकायत पर विचार करने की शक्ति भी भाामिल होगी। यह प्रकोष्ठ शैक्षिक संस्थान की नियमित इकाई होगी।

अपने कर्तव्यपालन के अनुक्रम में शिकायत प्रकोष्ठ का अधिकार है कि यह आचार संहिता के उल्लंघन होने अथवा प्रकोष्ठ द्वारा दी गई व्यवस्था का उल्लंघन होने पर उल्लंघनकर्त्ता का अभियोजन कर सकेगा। यह प्रकोष्ठ प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय की तरह कार्य करेगा। शिकायत प्रकोष्ठ आचार संहिता के उल्लंघन के विवाद तथा विधि और व्यवस्था के विवाद पर निर्णय देगा। इसके निर्णय के विरूद्ध

पीड़ित पक्षकार/पक्षकारों को संस्था के अध्यक्ष के पास अपील करने का अधिकार होगा। अपील में संस्था अध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के द्वारा अधिरोपित शास्ति को समाप्त अथवा संशोधित कर सकता है।

शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतों पर विचार करते समय सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करेगा व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यवाही को सम्पादित करने में शिकायत प्रकोष्ठ के पास अधिकार होगा कि वह–

(i) प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों को उपस्थित होने और साक्ष्य देने तथा आवश्यक पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

(ii) किसी भी प्रत्याशी के वित्तीय विवरण का परीक्षण करेगा और अनुग्रह किये जाने पर इन अभिलेखों को लोक परीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

शिकायत प्रकोष्ठ के सदस्य शिकायत दायर नहीं कर सकते हैं। अन्य कोई भी विद्यार्थी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 (तीन) सप्ताह के भीतर शिकायत प्रकोष्ठ को शिकायत कर सकता है। सभी शिकायतें शिकायतकर्ता विद्यार्थी के नाम से होनी चाहिए। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर शिकायत को खारिज करने अथवा सुनवाई करने पर निर्णय लेगा। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत को निम्नलिखित परिस्थितियों में खारिज कर सकता है–

(1) शिकायत उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं की गई है।

(2) शिकायत अपेक्षित अनुतोष (Relief) के लिए वाद हेतु (Cause of action) स्थापित करने में असफल है।

(3) शिकायतकर्ता को कोई क्षति अथवा हानि नहीं हुई है और/अथवा होने की संभावना नहीं है।

यदि शिकायत खारिज नहीं की जाती है, तो इसकी सुनवाई की जायेगी। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता तथा शिकायत में उल्लिखित समूह/व्यक्तियों को लिखित अथवा ई–मेल द्वारा सुनवाई के स्थान और समय के बारे में सूचना देगा। पक्षकार तब तक सूचित किये गये नहीं मानें जाऐंगे जब तक कि शिकायत की एक प्रति उनके द्वारा प्राप्त नहीं कर ली जाती है।

शिकायत की यथासम्भव अविलम्ब सुनवाई कर ली जायेगी, लेकिन पक्षकारों को उक्त सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर सुनवाई आरम्भ नहीं की जायेगी, जब तक कि सभी पक्षकार 24 घण्टे के नियत समय का अभित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं।

सुनवाई की सूचना जारी करते समय यदि शिकायत प्रकोष्ठ व्यक्ति विशेष अथवा निकाय पर विपरीत अथवा अनुचित प्रभाव को रोका जाना आव यक समझता है, तो वह बहुमत से अस्थाई अवरोधक आदेश जारी कर सकता है। ऐसा कोई भी अवरोधक आदेश शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा सुनवाई के पश्चात् निर्णय घोषित किये जाने अथवा ऐसे आदेश को विखंडित कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा।

शिकायत प्रकोष्ठ की सभी सुनवाई, कार्यवाही और बैठकें परिसर में सार्वजनिक रूप से होंगी।

सभी पक्षकार शिकायत प्रकोष्ठ के सम्मुख सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे। अपने परामर्शी के रूप में किसी विद्यार्थी के साथ भी उपस्थित हो सकते हैं। उनके पास विकल्प है कि वे/वह उस परामर्शी के द्वारा प्रतिनिधित्व करा सकेंगे।

किसी भी सुनवाई में शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित बहुमत का उपस्थित होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य शिकायत प्रकोष्ठ की अध्यक्षता करेगा।

शिकायत प्रकोष्ठ सुनवाई के लिए प्रारूप निर्धारित करेगा लेकिन प्रकोष्ठ के सम्मुख शिकायतकर्त्ता तथा उत्तरदाता दोनों पक्षकारों को शिकायत के विवादों में उत्तर, खण्डन और त्वरित उत्तर (रिज्योंडर) के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है। सुनवाई का लक्ष्य निर्णय, आदेश अथवा व्यवस्था देने के लिए सूचना एकत्रित करना है, जिसके आधार पर निर्वाचन सम्बन्धी विवाद का निस्तारण किया जायेगा। इस लक्ष्य के कार्यान्वयन हेतु सुनवाई के समय निम्नलिखित नियमों का अनुपालन होना चाहिए–

(1) शिकायतकर्ता को दो से अधिक गवाह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि शिकायत प्रकोष्ठ जितना आवश्यक समझे उतने गवाहों को बुला सकता है। यदि उक्त गवाह सुनवाई के समय उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं तो शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को ''अनुपस्थिति में गवाही देने'' के उद्देश्य से हस्ताक्षरित शपथ पत्र दे सकते हैं।

(2) पक्षकारों के विवाद से सम्बन्धित सभी प्रश्न और बहस शिकायत प्रकोष्ठ को सम्बोधित होगी।

(3) सुनवाई के दौरान शिकायतकर्त्ता अथवा उत्तरदाता को गवाहों अथवा किसी पक्षकार की परीक्षा अथवा प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति नहीं होगी।

(4) शिकायत प्रकोष्ठ दोनों पक्षकारों की सम्यक एवं ऋजुतापूर्ण (Fair) सुनवाई के लिए युक्तियुक्त समय सीमा निर्धारित करेगा।

(5) शिकायतकर्त्ता पर उसके द्वारा लगाये गये आरोप सिद्ध करने का भार होगा।

(6) शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय, आदेश और व्यवस्था, उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा और सुनवाई के पश्चात् यथाशीघ्र घोषित किया जायेगा। निर्णय घोषित करने के 12 घण्टों के अन्दर शिकायत प्रकोष्ठ व्यवस्था की लिखित राय जारी करेगा जिसमें तथ्यों का निष्कर्ष तथा उस पर लिए गये विधिसम्मत निर्णय का उल्लेख होगा। शिकायत प्रकोष्ठ के द्वारा दी गई लिखित व्यवस्था पश्चात्वर्ती तीन चुनावों के लिए पूर्व निर्णय के रूप में लागू रहेगी और शिकायत प्रकोष्ठ का भावी कार्यवाहियों हेतु मार्गदर्शन करेगी। शिकायत प्रकोष्ठ पूर्व की लिखित व्यवस्था पर विचार करके उसे उपरोक्त अवधि में भी अस्वीकार कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सम्यक कारण अभिलेखित करने होंगे।

(7) यदि शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय की अपील संस्थाध्यक्ष को की जाती है, तो शिकायत प्रकोष्ठ अविलम्ब अपनी व्यवस्था /निर्णय को अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(8) शिकायत प्रकोष्ठ समुचित उपचार अथवा शास्ति का चयन करेगा। इसके लिए प्रकोश्ठ द्वारा उल्लंघन के प्रकार व गंभीरता के साथ ही उल्लंघनकर्ता की मानसिक स्थिति अथवा आशय को भी दृष्टिगत रखा जायेगा। संभावित उपचारों एवं भाास्तियों में अर्थदण्ड, प्रचार संबंधी विशेषाधिकारों का निलंबन एवं निर्वाचन से निरर्हता सम्मिलित हैं किन्तु उक्त संभावित उपचार एवं शास्तियॉं इन्हीं तक सीमित नहीं हैं अपितु उनका स्वरूप इनके अतिरिक्त भी हो सकता है।

(9) निर्वाचन के क्रम में प्रत्याशियों के विरूद्ध कोई अर्थदण्ड अथवा कुल अर्थदण्ड प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन में किये जाने वाले विधिक रूप से अनुमन्य व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए।

(10) सुनवाई के पश्चात् यदि शिकायत प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधानों को प्रत्याशी, उसके अभिकर्त्ता अथवा कार्यकर्ता द्वारा उल्लंघन किया गया है तो शिकायत प्रकोष्ठ प्रत्याशी अथवा उसके अभिकर्त्ता या कार्यकर्ता को प्रचार की समस्त अथवा आंशिक गतिविधियों से कुछ समय अथवा प्रचार हेतु शेष बचे समय के लिए रोक सकता है। यदि प्रचार अवधि के आंशिक भाग के लिए ही उक्त आदेश निर्गत किया गया हो तो वह अविलम्ब प्रभाव में आ जायेगा, जिससे कि इस आदेश की अवधि समाप्त होने पर प्रत्याशी को अविलम्ब चुनाव प्रचार और निर्वाचन के दिन सहभागीदारी करने का अवसर मिल सके।

(11) यदि सुनवाई के पश्चात् शिकायत प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधान अथवा शिकायत प्रकोष्ठ के विनिश्चयों, रायों, आदेशों अथवा व्यवस्था को प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के अभिकर्त्ता अथवा कार्यकर्त्ता ने जानबूझकर और स्पष्टतः उल्लंघन किया है, तो शिकायत प्रकोष्ठ प्रत्याशी को निरर्हित कर सकता है।

(12) शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय से विपरीततः प्रभावित कोई पक्षकार निर्णय घोषित होने के 24 घण्टे के अन्दर संस्थाध्यक्ष को अपील कर सकता है। संस्थाध्यक्ष के पास शिकायत प्रकोष्ठ के सभी मामलों, जिसमें शिकायत प्रकोष्ठ पर त्रुटि आरोपित की गई हो, में विवेकाधीन अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा।

(13) शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय तब तक पूर्णरूप से प्रभावी रहेगा, जब तक कि संस्थाध्यक्ष द्वारा अपील की सुनवाई कर उसे निर्णीत नहीं कर दिया जाता।

(14) शिकायत प्रकोष्ठ व्यवस्था पर संस्थाध्यक्ष अविलम्ब सुनवाई करेगा, लेकिन शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा लिखित राय की प्रति अपीलकर्त्ता और संस्थाध्यक्ष को देने के बाद से 24 घण्टे के अन्दर ऐसी सुनवाई नहीं की जायेगी। इस अवधि से पहले भी सुनवाई हो सकती है, यदि अपीलकर्त्ता उल्लिखित अवधि का अभित्यजन कर दे और संस्थाध्यक्ष इस अभित्यजन को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाये।

(15) संस्थाध्यक्ष अपील के निस्तारण तक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा दी गई व्यवस्था को निलंबित करने अथवा उसका पालन रोकने का समुचित आदेश पारित कर सकता है।

(16) अपील में संस्थाध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के निष्कर्ष का पुनर्विलोकन करेगा। संस्थाध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय की पुष्टि अथवा इसको उलट सकेगा अथवा अधिरोपित शास्ति को संशोधित कर सकेगा।

18. निर्वाचन प्रक्रिया के समय परिसर में विधि और व्यवस्था को बनाये रखना–

अत्यधिक विधि विहीनता की कोई घटना अथवा प्रत्यक्ष/आरोपित अपराध कारित होने की स्थिति में यथासम्भव महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा पुलिस को रिपोर्ट की जायेगी, लेकिन आरोपित अपराध कारित होने के 12 घण्टे के अन्दर ही रिपोर्ट करनी होगी।

19. विविध–

अ. अविश्वास प्रस्ताव– किसी पदाधिकारी/कार्यकारिणी सदस्य पर छात्रसंघ के विरूद्ध कार्य करने अथवा संस्था की गरिमा के विरूद्ध कार्य करने अथवा छात्रसंघ संविधान के विरूद्ध कार्य करने अथवा कोई हिंसक वारदात करने के आरोप होने पर छात्रसंघ की बैठक में उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव छात्रसंघ प्रभारी की उपस्थिति में छात्रसंघ के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने के पश्चात् लाया जा सकता है।

उपरोक्त अविश्वास प्रस्ताव छात्रसंघ की सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही मान्य होगा।

ब. किसी पदाधिकारी/सदस्य का निलम्बन/पदच्युत होना–

छात्रसंघ का कोई भी पदाधिकारी अथवा निर्वाचित/नामित सदस्य यदि संस्था की गरिमा को धूमिल करने या ठेस पहुंचाने वाला आचरण अथवा कार्य करता है अथवा छात्रसंघ संविधान के विरूद्ध कार्य करता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाये बिना ही संस्थाध्यक्ष को ऐसे पदाधिकारी/सदस्य को छात्रसंघ से निलम्बित करने अथवा शेष कार्यकाल हेतु पदच्युत करने का अधिकार होगा।

स. छात्रसंघ का भंग किया जाना–

यदि सम्पूर्ण छात्रसंघ की गतिविधियां संस्था के हित में नहीं हैं अथवा संस्थाध्यक्ष या संस्था प्रशासन के विरूद्ध हैं अथवा संस्था की गरिमा को धूमिल करने वाली हैं, तो संस्थाध्यक्ष द्वारा छात्रसंघ को शेष कार्यकाल हेतु निलम्बित अथवा भंग किया जा सकता है। ऐसा निर्णय लेने से पूर्व संस्थाध्यक्ष निर्वाचन समिति के सदस्यों, छात्रसंघ प्रभारी और संस्था के वरिष्ठ प्राध्यापकों से विचार विमर्श कर सकते हैं।

द. संविधान संशोधन–

यदि विभिन्न संस्थाओं के छात्रसंघ कुछ सामान्य (कॉमन) बिन्दुओं पर संविधान में संशोधन चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अपने संस्थाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय से लिखित निवेदन करना होगा। यदि संस्थाओं के संस्थाध्यक्ष भी किसी बिन्दु पर व्यवहारिक कठिनाई अनुभव करते हुए संविधान में संशोधन चाहते हैं तो उन्हें भी इसकी लिखित रूप में कुलपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय को सूचना देनी होगी। लेकिन सम्बन्धित संशोधन श्री जे0एम0 लिंगदोह समिति की संस्तुतियों तथा तद्अनुरूप उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत केरल विश्वविद्यालय बनाम केरल कालेज प्राचार्य परिषद् (2006) 8 एससीसी 304 के विपरीत नहीं होनी चाहिए।

य. यदि बड़े पदाधिकारियों के पद निर्वाचन के दो माह के अन्तर्गत रिक्त हो जाते हैं, पुनः निर्वाचन होना चाहिए अन्यथा उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर और संयुक्त सचिव को सचिव के पद पर, जैसी भी स्थिति हो, पदोन्नति कर दी जानी चाहिए।

20. सुरक्षा व्यवस्था

शैक्षणिक समुदाय की सुरक्षा के लिए क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त पुलिस बल के अभाव में निर्वाचनों के स्थानों में अवांछित घटना घटित न हो। इसलिए आवश्यकतानुसार इसका अनुपालन किया जायेगा।

परिशिष्ट – 1

संस्था का नाम——————————— नवीनतम पासपोर्ट

छात्रसंघ निर्वाचन 20 – 200 साइज फोटोग्राफ

चिपकाऐं।

नामांकन प्रपत्र

नोट– स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशी, प्रस्तावक तथा अनुमोदक अपनी कक्षा के साथ विषय भी लिखें।

प्रस्ताव

मैं छात्रसंघ के.. पद हेतु श्री/कु0..
.... कक्षा....................... विषय..का नाम प्रस्तावित करता/करती हूँ।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर...

नाम व कक्षा विषय सहित....................................

पिता का नाम..

अनुमोदन

मैं उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता/करती हूँ।

अनुमोदक के हस्ताक्षर...

नाम व कक्षा विषय सहित....................................

पिता का नाम..

प्रत्याशी की सहमति

मुझे छात्रसंघ के..पद का प्रत्याशी होने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज दिनांक............................ को...........बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह् में अपना नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ।

शैक्षिक योग्यता (प्रमाणपत्रों की छाया प्रति संलग्न करें)।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर...............................

स्नातक भाग एक उत्तीर्ण वर्ष...

प्रत्याशी का नाम...

स्नातक भाग दो उत्तीर्ण वर्ष.. कक्षा विषय सहित.................................. .... स्नातक भाग तीन उत्तीर्ण वर्ष..

. पिता का नाम...

स्नातकोत्तर पूवार्द्ध उत्तीर्ण वर्ष.. संस्था में प्रथम बार प्रवेश लेने की तिथि... प्रत्याशी की जन्म तिथि...................................

(प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

प्रत्याशी की घोषणा

मैं...जो..पद का प्रत्याशी हूँ एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं संस्था के समस्त नियमों का पालन करूँगा/करूँगी। किसी भी वाह्य व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिये अपने साथ संस्था में नहीं लाऊँगा/लाऊँगी और संस्था में शान्ति बनाये रखने में सहयोग दूँगा/दूँगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे विरूद्ध वर्तमान में न्यायालय में आपराधिक वाद नहीं है/अमुक वाद चल रहा है।मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की गई है और न ही लम्बित है तथा किसी भी प्रकार का दण्ड आरोपित नहीं किया गया है तथा मेरा कोई भी प्रश्नपत्र/विषय किसी शैक्षणिक सत्र/समेस्टर का उत्तीर्ण करना अवशेष नहीं है। मेरे द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान परिसर/महाविद्यालय के भवनों को लिखकर गन्दा नहीं किया जाएगा तथा शहर के निजी एवं सामुदायिक भवनों को लिखकर खराब नहीं किया जायेगा

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

....

अधिकारियों के हस्ताक्षर जिनके सम्मुख नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है।

नामांकन प्रपत्र जमा करने का समय.............. दिनांकः........................

1.
2.
3.
4.

परिशिष्ट – 2

नामांकन तथा आवश्यक अनिवार्यताओं का शपथ पत्र का प्रारूप

मैं.. पुत्र/पुत्री श्री... .... कक्षा..................निवासी.. ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ लेता/लेती हूँ, कि–

1. कि मेरा नाम... है।

2. कि मैं.. (संस्था का नाम) में.................कक्षा का/की नियमित संस्थागत छात्र/छात्रा हूँ। मेरी उपस्थिति वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि से अब तक 75 प्रतिशत रही है और गत सत्र में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति रही है तथा सम्बन्धित सत्र में भविष्य में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने का वचन देता हूँ।

3. कि मैं शिक्षा सत्र......................... के ....संस्था के छात्रसंघ के.. ... पद हेतु नामांकन दाखिल कर रहा/रही हूँ।

4. कि मैं संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पूर्ण रूपेण पालन करूंगा/करूंगी।

   आचार संहिता का उल्लंघन करते पाये जाने पर...............................पद हेतु मेरा नामांकन अथवा मेरा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, निरस्त कर दिया जाये।

5. कि मैं संविधान में उल्लिखित निर्वाचन सम्बन्धी खर्चे तथा वित्तीय जवाबदेही का पूर्ण अनुपालन करूँगा/करूँगी तथा चुनाव घोषित होने के 2 सप्ताह उपरांत परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों को चुनाव आय–व्यय का लेखा प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

6. कि नामांकन प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनायें सत्य हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

7. कि मेरा पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, मेरा कभी कोई विचारण नहीं हुआ है और/अथवा किसी आपराधिक अपराध में दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ अथवा अपराधी नहीं रहा हूँ। मेरे विरूद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी नहीं की गयी है।

8. कि मैं विगत वर्ष अनुत्तीर्ण नहीं हुआ/हुई हूँ।

9. कि मैंने इससे पूर्व वि वविद्यालय के किसी परिसर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में लिंगदोह समिति की संस्तुतियॉं लागू होने के उपरान्त छात्रसंघ पदाधिकारी के किसी पद हेतु चुनाव नहीं लड़ा है और न ही कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दो बार चनाव लड़ा है।

ओथकमिश्नर अथवा नोटरी के हस्ताक्षर तथा मोहर

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

दिनांकः

मैं उपरोक्त प्रस्तर–1, 2, 7, और 8 को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सत्य होना घोषित करता/करती हूँ तथा प्रस्तर 3, 4, 5, और 6 को व्यक्तिगत ज्ञान तथा दस्तावेजों के आधार पर सत्य होना घोषित करता/करती हूँ। यदि इनमें से कोई भी सूचना असत्य पाई जाए तो ....पद हेतु मेरा नामांकन अथवा मेरा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, निरस्त कर दिया जाये।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

दिनांक :

परिशिष्ट – 3

संस्था का नाम ———————————————————————————

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 200 – 200

नामांकन वापसी का प्रपत्र

मैं .... पुत्र / पुत्री श्री ....कक्षा............................. ने दिनांकः........................... को पद हेतु नामांकन प्रपत्र दाखिल किया था। आज दिनांकः................................ को................ बजे पूर्वान्ह / अपरान्ह में अपनी इच्छा से अपना नामांकन वापस लेता / लेती हूँ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर..

प्रत्याशी का नाम...

दिनांकः ....

साक्ष्यों के हस्ताक्षर, नाम तथा कक्षा

(परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है)

1.

2.

3.

परिशिष्ट – 4

मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्याशियों / अभिकर्ताओं द्वारा घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि मतपेटी सीलबन्द करने से पूर्व खाली थी। मतपेटी हमारे सम्मुख सीलबन्द की गई। हम मतदान प्रारम्भ होने की प्रक्रिया से सहमत एवं सन्तुष्ट हैं।

	प्रत्याशी का नाम	अभिकर्ता का नाम व कक्षा	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....

परिशिष्ट – 5

मतदान समाप्ति के बाद अभिकर्ताओं द्वारा घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदान प्रक्रिया से सन्तुष्ट हैं। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटी हमारे सम्मुख सीलबन्द की गयी। मतदान में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है।

	प्रत्याशी का नाम	अभिकर्ता का नाम व कक्षा	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....

परिशिष्ट – 6

मतपत्र लेखा

मतदान केन्द्र संख्या..................

1. प्राप्त मतपत्रों की संख्या................ क्रम संख्या.............से................तक कुल प्राप्त मतपत्र..............................
   ....
2. प्रयुक्त मतपत्रों की संख्या............. क्रम संख्या.............से................तक
   कुल प्रयुक्त मतपत्र..
3. शेष मतपत्र (1–2)...
4. रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या..

हस्ताक्षर मतदान अधिकारी।

परिशिष्ट – 7

संस्था का नाम...

मतगणना अभिकर्ता नियुक्ति पत्र

नोटः– किसी मतगणना केन्द्र पर एक प्रत्याशी का केवल एक मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रह सकता/सकती है। (यह नियुक्ति पत्र, मतगणना केन्द्र पर मतगणना अधिकारी को दिया जाये)

मैं... जो वर्ष............................ के छात्रसंघ के निर्वाचन हेतु.............................. .... पद का प्रत्याशी हूँ, एतद्द्वारा श्री..पुत्र/पुत्री श्री......................... .... कक्षा....................... को मतगणना केन्द्र... पर अपना प्रतिनिधित्व करने हेतु मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करता/करती हूँ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर..

दिनांक..

मै, श्री...के मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

मतगणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर.........................

मतगणना अभिकर्ता का नाम व कक्षा.................

पिता का नाम...

दिनांकः ....

परिशिष्ट – 8

मतगणना टेबल संख्या..........................

मतगणना से पूर्व अभिकर्ताओं द्वारा की गई घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि मतगणना कार्य के सुचारू संचालन में कोई अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे और मतगणना केन्द्र पर शान्ति एवं अनुशासन बनाये रखेंगे। निर्वाचन परिणामों की घोषणा होने के बाद ही मतगणना केन्द्र का परित्याग करेंगे। हम यह भी घोषणा करते हैं कि मतगणना के दौरान उठने वाले सभी विवादों पर इस हेतु नियुक्त समिति के निर्णयों को स्वीकार करेंगे। मतगणना के लिए मतपेटी खुलने से पूर्व सीलबन्द थी।

	प्रत्याशी का नाम	अभिकर्ता का नाम व कक्षा	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....

परिशिष्ट – 9

मतगणना टेबल संख्या........................

मतगणना के पश्चात् अभिकर्ताओं द्वारा की गई घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि मतपेटी खुलने से पूर्व सीलबन्द थी और हमारे सम्मुख खोली गयी। हम मतगणना से सन्तुष्ट हैं और मतगणना परिणामों को स्वीकार करते हैं।

	प्रत्याशी का नाम	अभिकर्ता का नाम व कक्षा	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....

परिशिष्ट – 10

निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ का प्रारूप

मैं.. पुत्र/पुत्री श्री................................ .... शपथ लेता/लेती हूँ, कि...(संस्था का नाम) के शिक्षा सत्र........................... के छात्रसंघ के.............................. पद के दायित्वों का सत्यनिष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा/करूँगी। ऐसा कोई आचरण नहीं करूँगा/करूँगी जो संस्था की गरिमा के विरूद्ध हो। मैं यह भी शपथ लेता/लेती हूँ, कि छात्रसंघ संविधान में वर्णित सभी नियमों का पूर्णरूपेण पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांकः **हस्ताक्षर–**

पद–

परिशिष्ट – 11

छात्र संघ चुनाव दस्तावेजों के विनिष्टिकरण की सूचना का प्रारूप

''छात्र संघ संविधान के अनुच्छेद –12(14) तथा (15) में उल्लेखित उपबन्धों के अनुसार छात्र संघ चुनाव (वर्ष....................) सम्बन्धी निम्नलिखित दस्तावेजों को आज दिनांक......................... को हमारे सम्मुख विनिष्ट किया गया।''

क्र०सं०	नाम दस्तावेज	संख्या
1.		
2.		
3.		
आदि		

हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
सदस्य, छात्र संघ चुनाव दस्तावेज विनिष्टीकरण समिति	समन्वयक, छात्र संघ चुनाव दस्तावेज विनिष्टीकरण समिति

1.

2.

3.